



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 573/L-137/22

दिनांक:- 08-08-2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Supplementary Report in compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 245/2021 Vineet Sinha Vs. Union of India & Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original application No. 245/2021 Vineet Sinha Vs. Union of India & Ors. The supplementary report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Therefore the supplementary report is attached herewith for kind persual and necessary action please.

Yours Sincerely

Praveen

(Praveen Kumar)
Regional Office

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for persual and necessary action please.
3. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

SUPPLEMENTARY REPORT

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 245/2021

VINEET SINHA


VS

UNION OF INDIA & ORS.

Supplementary report in the matter OA No. 245/2021 Vineet Sinha Vs. Union of India & Ors. pending before Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

- 1- In above noted Original application UP Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation of Five percent of the project cost as Rs. 7,46,54,000/- (Rupees Seven Crore Forty Six Lac Fifty Four Thousand only) against the Project Proponent. Copy of the letter is annexed.
- 2- The project proponent applied of Consent to Operate under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (as amended) & under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) through online portal on date-10-02-2022. The application was processed by U.P. Pollution Control Board and it was rejected on merit due to non-compliance on date-03-06-2022 through online portal.

Dated-08-08-2022


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Noida



(66)

26-5-22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 176793
Ref.No. /सी-1 /जल /1575 /पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति /2022

पंजीकृत
दिनांक 12-5-22
Date

मैसर्स एक्सप्रेस जेनिथ,
(मै0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0)
प्लॉट नं0-जी0एच0-02/ए, सेक्टर-77,
नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।

यह कि मै0 एक्सप्रेस जेनिथ (मै0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0)प्लॉट नं0-जी0एच0-02/ए, सेक्टर-77, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर इकाई एक गुप हाउसिंग परियोजना है जो उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना का निरीक्षण ओ0ए0 संख्या- 245 / 2021 विनीत सिन्हा (एप्लीकेन्ट) बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.02.2022 किया गया। उक्त संयुक्त समिति में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित सदस्य सम्मिलित थे।

संयुक्त समिति द्वारा परियोजना की आख्या तैयार कर मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 19.02.2022 को ऑनलाइन प्रेषित की गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 01.02.2022 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“Thus, there is clear violation of the condition of Environment Clearance as against G+18 floors, G+19 Floors were constructed by the project proponent.

Hence for violation of terms and condition of Environment Clearance, Hon'ble NGT may direct project proponent to pay Environment Compensation as per order of the Hon'ble Supreme Court in Goel Ganga Developers India Private Limited Versus Union of India reported in (2018) 18SSC257...”

अतः उपरोक्त के क्रम में सन्दर्भित परियोजना द्वारा की गयी अवहेलना के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित वाद गोयल गंगा डेवलपर्स (2018 SCC 257 में पारित आदेश के अनुक्रम में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में सी0ए0 सर्टिफिकेट दिनांक 22.06.2012 के अनुसार परियोजना कुल लागत रू0 149.308541 करोड़ है। अतः मै0 एक्सप्रेस जेनिथ (मै0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0), प्लॉट नं0 - जी0एच0 -02/ए, सेक्टर-77, नोएडा गौतमबुद्ध नगर के

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831,
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow : 226010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
email : info@uppcb.com

Dr. 22/5

विरुद्ध परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत रूपये 7.4654/- (रु0 सात करोड़ छियालीस लाख चौब्वन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाइड लाइन्स के अनुसार परियोजना मै0 एक्सप्रेस जेनिथ (मै0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0लि0), प्लॉट नं0-जी0एच0-02/ए, सेक्टर-77, नोएडा गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत (149308541x5 प्रतिशत) अर्थात् रूपये 7.4654/- करोड़ (रु0 सात करोड़ छियालीस लाख चौब्वन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि रूपये 7.4654/- करोड़ (रु0 सात करोड़ छियालीस लाख चौब्वन हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0-701502010002104 आईएफएससी कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराया जाये।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. विशेष कार्याधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समयावधि में अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-1)